

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

दिनांक 17.10.2024

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के न्यायालय, कार्यालय, उनसे सम्बद्ध शौचालयों एवं न्यायालय परिसर आदि में साफ सफाई का कार्य करने के लिए कुल 08 संविदा सफाईकर्मी की आवश्यकता है। शासनादेश संख्या 1963/सात-न्याय-2/2000-41 जी/97 दिनांकित 19.10.2000 एवं 846/सात-न्याय-2-2024-105 जी/2021 दिनांकित 09.10.2024 के अनुसार सफाईकर्मी की नियुक्ति संविदा के आधार पर नियत मानदेय अंकन 8,840/- प्रतिमाह की दर से होगी तथा इस मानदेय पर अन्य किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा। नियुक्त सफाईकर्मी को प्रातः 08.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक साफ सफाई सम्बन्धी कार्य करना होगा। शासकीय अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं है। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2024 तक आवेदन पत्र, "जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद" के नाम डाक द्वारा अथवा नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद में व्यक्तिगत रूप से भी प्रेषित किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य आवश्यक जानकारी किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक नजारत अनुभाग से तथा जनपद न्यायालय, गाजियाबाद की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीय

(हेरी लाल) (111)

अध्यक्ष, सब कमेटी दू एरिस्ट सलैक्टिंग अथोडि /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-02, गाजियाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित :-
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं-2, गाजियाबाद

- 1- नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।
- 2- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 3- नोटिस बोर्ड, नगर निगम, जनपद गाजियाबाद।
- 4- तहसीलदार, सदर, जनपद गाजियाबाद।
- 5- नोटिस बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 6- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 7- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।

जनपद न्यायालय, गाजियाबाद हेतु संविदा पर सफाई कर्मी की
नियुक्ति के सम्बन्ध में आवेदन पत्र

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि : 26.10.2024

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

आवेदक का कलर पासपोर्ट
साइज फोटो दो प्रति

1	आवेदक का नाम	
2	पिता का नाम	
3	वर्तमान पता	
4	स्थायी पता	
5	जन्म तिथि	
6	धर्म	
7	जाति (सामान्य/पिछडी/अनु. जाति/अनु. जनजाति)	
8	शैक्षिक योग्यता का विवरण	
9	अनुभव यदि कोई हो	
10	मोबाईल संख्या	
11	अन्य विवरण	

नोट :- आवेदक जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता एवं अन्य से सम्बन्धित अभिलेखों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। अन्य आवश्यक जानकारी आवेदन पत्र के पीछे अंकित है।

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक

संविदा सफाईकर्मों की नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना

- 1- आवेदन हेतु न्यूनतम शिक्षा कक्षा-5 उत्तीर्ण हो।
- 2- आवेदक की आयु दिनांक 01.10.2024 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो।
- 3- एक माह में न्यूनतम 26 कार्यदिवस होंगे तथा प्रतिदिन कार्य अवधि प्रातः 08.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक की होगी।
- 4- शासकीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।
- 5- कोई अर्जित अथवा चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।
- 6- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मानदेय अंकन 8,840/- रुपये के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- 7- सामूहिक बीमा योजना एवं भविष्य निधि के अन्तर्गत कोई लाभ देय नहीं होगा।
- 8- संविदा सफाईकर्मों को पोषाक भत्ता एवं अन्य कोई शासकीय भत्ता देय नहीं होगा।
- 9- संविदा सफाईकर्मों को कोई शासकीय आवास आबंटित नहीं होगा।
- 10- शासनादेश संख्या 1963/सात-न्याय-2/2000-41 जी/97 दिनांकित 19.10.2000 के अन्तर्गत प्रारम्भिक नियुक्ति/संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा सेवा संतोषजनक होने पर अग्रिम अवधि के लिए बढ़ाया जायेगा।
- 11- संविदा अवधि शासनादेश के प्रभावी होने तक ही बढ़ाया जा सकेगा तथा शासनादेश के सापेक्ष सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- 12- संविदा सफाईकर्मों को उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत किसी भी दशा में स्थायी नहीं किया जायेगा।
- 13- संविदा सफाईकर्मों के मानदेय का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।
- 14- आवेदन नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद में दिनांक 26.10.2024 तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।
- 15- आवेदन के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- 16- आवेदन के साथ इस आशय का 10/- रुपये मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि आपके द्वारा आवेदन में दी गयी जानकारी आपके संज्ञान में सत्य है।
- 17- संविदा पर नियुक्ति इस आधार पर निर्भर करेगी कि पुलिस सत्यापन में उनके विरुद्ध कोई अपराधिक वाद दर्ज अथवा लम्बित न हो।
- 18- आवेदक का चयन एवं मानक विभागाध्यक्ष की संतुष्टि पर होगा।